पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2014 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला .11686

==========

स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद के पुत्र राधा मोहन प्रसाद, गाँव-मारपा, पी. एस.-कान्हौली, जिला-सीतामढ़ी के निवासी, वर्तमान में लक्ष्मी नगर, बसबरिया चौक, सीतामढ़ी में रहते हैं।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड वरिष्ठ माध्यमिक, बिहार, पटना
4. श्री राम सृष्टि भगत, प्राचार्य, मुन्नी लाल कर्पूरी कॉलेज, भूटाही, पी. एस.-सोनबरसा, जिला-सीतामढ़ी
5. मुन्नीलाल कर्पूरी महाविद्यालय, भूटाही, पी. एस.-सोनबरसा, जिला-सीतामढ़ी का शासी निकाय
6. बेबी नम्रता, वर्तमान में व्याख्याता के रूप में कार्यरत, गृह विज्ञान विभाग, मुन्नी लाल कर्पूरी कॉलेज, पी. एस.-सोनबरसा, जिला-सीतामढ़ी

.... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितः

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री प्रशांत सिन्हा,

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री.पीयूष लाल,

बी.एस.ई.बी के लिए अधिवक्ता : सुश्री सूर्य नीलांबरी, अधिवक्ता

==========

रिट याचिका - द्वितीयक शिक्षा निदेशक, बिहार सरकार द्वारा पारित उस आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान से याचिकाकर्ता के पारिश्रमिक के दावे को खारिज कर दिया गया था। 1988 में, याचिकाकर्ता, जो बी.ए.एम.एस. की योग्यता रखते थे, को गृह विज्ञान में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया।

निर्णय - विधान के अनुसार, वर्ष 1978 में गृह विज्ञान में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए एम.बी.बी.एस. डिग्री निर्विवाद रूप से एक योग्यता थी। (पैरा 14)

एल.एन.एम.यू. ने 23.01.1987 को निर्णय लिया और बी.ए.एम.एस. डिग्री धारकों को गृह विज्ञान में व्याख्याता के रूप में नियुक्त करने का निर्णय किया। (पैरा 15)

गृह विज्ञान में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए, प्रासंगिक समय पर बी.ए.एम.एस. डिग्री को एम.बी.बी.एस. डिग्री के बराबर माना गया। नियुक्ति के लिए योग्यता में बाद के परिवर्तन को याचिकाकर्ता के दावे को नकारने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। (पैरा 20)

रिट याचिका स्वीकृत है। (पैरा 24)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

कोरमः माननीय श्री जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा

कैव जजमेंट

तारीखः19-07-2024

1. वर्तमान रिट आवेदन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार सरकार द्वारा पारित दिनांक 21.03.2014 के आदेश (अनुलग्नक-10) को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान सहायता से शैक्षणिक सत्र 2006-2008 और आगे 2010-2014 के लिए पारिश्रमिक के लिए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई परिणामी राहत कॉलेज की प्रबंध समिति सहित प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता को अनुदान सहायता का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए है।

2. याचिकाकर्ता प्रबंध समिति द्वारा संचालित गैर-सहायता प्राप्त +2 महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में व्याख्याता था तथा जिस अवधि में वित्तविहीन शिक्षा योजना प्रचलित थी, उस दौरान याचिकाकर्ता को महाविद्यालय के आंतरिक संसाधनों से वेतन दिया जा रहा था। वर्ष 2009 में वित्तविहीन शिक्षा योजना समाप्त कर दी गई तथा व्याख्याताओं के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान जारी किया गया।

3. वर्ष 1988 में बीएएमएस योग्यता रखने वाले याचिकाकर्ता को मुन्नी लाल कर्पूरी महाविद्यालय, भुतही, सीतामढ़ी में तदर्थ समिति के प्रस्ताव द्वारा गृह विज्ञान में व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया गया। नियुक्ति पत्र दिनांक 26.10.1988 जारी किया गया तथा याचिकाकर्ता ने उसी दिन अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। याचिकाकर्ता की नियुक्ति के चार वर्ष पश्चात तदर्थ समिति ने दिनांक 23.04.1992 के अपने प्रस्ताव द्वारा प्रतिवादी सं. 6 व्याख्याता, गृह विज्ञान के दूसरे पद पर।

4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वे लगातार गृह विज्ञान विभाग में व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे और उन्हें विभागाध्यक्ष भी बनाया गया था, जबकि प्रतिवादी संख्या 6 ने बिना किसी सूचना के कॉलेज छोड़ दिया और 01.01.2004 से जून, 2007 तक बिहार महिला समाख्या

सोसाइटी में पर्यवेक्षक के रूप में बिहार शिक्षा परियोजना के साथ काम करते रहे। वित्तविहीन शिक्षा नीति समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने अनुदान सहायता जारी करना शुरू कर दिया। प्रतिवादी संख्या 6 वापस आकर कॉलेज में शामिल हो गए और याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और वरिष्ठता का मुद्दा भी उठाया। याचिकाकर्ता का पारिश्रमिक 2500 रुपये तय किया गया था। सत्र 2006-2008 के लिए 97,879/- का चेक कॉलेज के प्राचार्य ने हस्ताक्षरित किया, लेकिन तदर्थ समिति के संयोजक सह अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सीतामढ़ी ने चेक पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 6 ने याचिकाकर्ता की योग्यता के बारे में उन्हें गुमराह किया था। इस बीच, तदर्थ समिति को समाप्त कर दिया गया और एक नियमित प्रबंध समिति का गठन किया गया और प्रबंध समिति ने शैक्षणिक सत्र 2007-2009 के लिए याचिकाकर्ता को 1,12,343/- रुपये का पारिश्रमिक जारी किया।

5. याचिकाकर्ता ने अपने पारिश्रमिक की रिहाई के लिए सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 3077/2012 में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और प्रतिवादी संख्या 6 ने याचिकाकर्ता के साथ पारस्परिक वरिष्ठता के लिए सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 5048/2012 वाली रिट याचिका दायर की थी। दोनों रिट आवेदनों का निपटारा क्रमशः दिनांक 16.02.2012 और 19.03.2012 के आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को मामले की जांच करने और याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन का तर्कसंगत आदेश के साथ निपटारा करने का निर्देश दिया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता ने 2014 में स्कूल छोड़ दिया था, इसलिए निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा तय किया गया मुख्य मुद्दा याचिकाकर्ता के अनुदान सहायता से पारिश्रमिक के लिए पात्रता के संबंध में था और याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि बी.ए.एम.एस. याचिकाकर्ता की डिग्री गृह विज्ञान में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को पूरा नहीं करती है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास बी.ए.एम.एस. की योग्यता है जो एम.बी.बी.एस. की डिग्री के समकक्ष डिग्री है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति के समय

प्रचलित क़ानून के अनुसार एम.बी.बी.एस. की डिग्री गृह विज्ञान में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं में से एक थी।

7. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (जिसे आगे "एल.एन.एम.यू." कहा जाएगा) ने 23.01.1987 को लिए गए निर्णय में बी.ए.एम.एस. डिग्री धारकों को गृह विज्ञान में व्याख्याता नियुक्त करने का निर्णय लिया। अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड ने अपने पत्र संख्या आई.यू.बी./4079/79 दिनांक 17.09.1979 के अनुसार माना है कि बी.ए.एम.एस. की डिग्री एम.बी.बी.एस. की डिग्री के समतुल्य है, जो गृह विज्ञान/घरेलू विज्ञान में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए स्वीकृत डिग्री है। तदनुसार, एल.एन.एम.यू. ने वर्ष 1979 में गृह विज्ञान में व्याख्याता की योग्यता भी बी.ए.एम.एस. निर्धारित की थी। अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा निर्धारित व्याख्याता के पद के लिए आवश्यक योग्यता है:-

> “गृह विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या एमबीबीएस उपाधि या एमएससी (शरीर रचना विज्ञान उपाधि या एमएससी फिजियोलॉजी)/या आयुर्वेदाचार्य (बीएएमएस) या संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में उपाधि या डिप्लोमा”।

8. उन्होंने आगे तर्क दिया कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय ने 10.03.2009 को एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार, यूजीसी, दिल्ली और अन्य विश्वविद्यालयों ने एलएनएमयू विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न प्रमाणपत्रों/डिग्रियों के लिए समकक्ष योग्यता को स्वीकार किया है, जिसमें बीएएमएस को एमबीबीएस के समकक्ष दिखाया गया है।

9. याचिकाकर्ता ने महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज, दरभंगा से उक्त कॉलेज में गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत शिक्षकों और उनकी संबंधित योग्यता के बारे में जानकारी मांगी थी। कॉलेज एल.एन.एम.यू. की एक घटक इकाई है, जिसने याचिकाकर्ता को पत्र संख्या 435/2012

दिनांक 07.06.2012 के माध्यम से सूचित किया कि कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत आठ शिक्षकों में से सात के पास बी.ए.एम.एस. की योग्यता है।

10. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6098/1997 में पारित आदेश तथा अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के दिनांक 17.09.1979 के निर्णय पर भरोसा किया, जिसके तहत गृह विज्ञान में व्याख्याता की नियुक्ति के लिए बी.ए.एम.एस. की योग्यता को एम.बी.बी.एस. की डिग्री के समतुल्य माना गया था। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रासंगिक अंश के साथ-साथ न्यायमूर्ति एस.सी. अग्रवाल समिति की अनुशंसा के प्रासंगिक अंश अनुलग्नक-9 में संलग्न किए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एडहॉक कमेटी के संयोजक सह एसडीओ ने याचिकाकर्ता के चेक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, जबकि वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज बैरगनिया के संयोजक के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्होंने डॉ. नवेन्दु उपाध्याय के चेक पर हस्ताक्षर कर दिए, जो बीएएमएस की डिग्री के आधार पर गृह विज्ञान के व्याख्याता के रूप में भी कार्यरत थे।

11. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पद के लिए नियुक्ति की विधि, वेतनमान और योग्यता से संबंधित विधियों और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (वरिष्ठ माध्यमिक) द्वारा 2005 के बाद किए गए योग्यता निर्धारण पर भरोसा करते हुए माना कि गृह विज्ञान विभाग में व्याख्याता के पद के लिए बी.ए.एम.एस. की योग्यता उचित योग्यता नहीं है।

12. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने पारिश्रमिक के लिए पहले भी इस न्यायालय में याचिका दायर की थी और इस न्यायालय ने अपने दिनांक 16.02.2012 के आदेश के तहत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को याचिकाकर्ता के दावे का निपटारा करने का निर्देश दिया था। इसके अनुपालन में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने सभी सामग्रियों की जांच करने और याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद विवादित आदेश पारित किया है।

13. मैंने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।जिस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या

याचिकाकर्ता के पास प्रासंगिक समय पर व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता थी।

14. वर्ष 1978 में गृह विज्ञान में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए, विधि के अनुसार, निर्विवाद रूप से एम.बी.बी.एस. डिग्री योग्यताओं में से एक थी।

15. याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अनुलग्नक-7 के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि एल.एन.एम.यू. ने दिनांक 23.01.1987 को एक निर्णय लिया और बी.ए.एम.एस. डिग्री धारकों को गृह विज्ञान में व्याख्याता के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया।

16. न्यायमूर्ति एस.सी. अग्रवाल की रिपोर्ट/सिफारिश में अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के दिनांक 17.09.1979 के पत्र संख्या आई.यू.बी./4079/79 का उल्लेख किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि बी.ए.एम.एस. की डिग्री एम.बी.बी.एस. के समकक्ष है, जो गृह विज्ञान में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए स्वीकृत डिग्री है। वर्ष 1979 में एल.एन.एम.यू. द्वारा गृह विज्ञान में व्याख्याता के लिए निर्धारित योग्यता निम्नानुसार है

> "गृह विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या एमबीबीएस उपाधि या एमएससी (शरीर रचना विज्ञान उपाधि या एमएससी फिजियोलॉजी)/या आयुर्वेदाचार्य (बीएएमएस) या किसी संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि तथा गृह विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या डिप्लोमा"।

17. कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय ने अपने पत्र दिनांक 10.03.2009 में माना है कि आयुर्वेदाचार्य (बीएएमएस) की उपाधि एमबीबीएस की उपाधि के समतुल्य है।

18. महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह स्मारक महाविद्यालय, दरभंगा जो एलएनएमयू की एक घटक इकाई है, ने अपने पत्र दिनांक 07.06.2012 द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत आठ शिक्षकों में से सात के पास बीएएमएस की योग्यता है।

19. प्रतिवादी/राज्य इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी उपरोक्त दस्तावेजों को अस्वीकार करने में विफल रहा और निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के समक्ष प्रस्तुत

किया गया, लेकिन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने याचिकाकर्ता के दावे को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (वरिष्ठ माध्यमिक) द्वारा वर्ष 2005 के बाद गृह विज्ञान विभाग में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 1988 में हुई थी, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (वरिष्ठ माध्यमिक) नियमावली, 2005 के लागू होने से पहले की बात है।

20. उपर्युक्त चर्चाओं और दस्तावेजों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गृह विज्ञान में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए प्रासंगिक समय पर बी.ए.एम.एस. की डिग्री को एम.बी.बी.एस. डिग्री के समतुल्य माना गया था। नियुक्ति के लिए योग्यता में बाद में किए गए परिवर्तन को याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता।

21. रिट आवेदन के कंडिका संख्या 9 में याचिकाकर्ता का स्पष्ट कथन है कि तदर्थ समिति के संयोजक सह अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सीतामढ़ी, जिन्होंने याचिकाकर्ता के चेक पर इस आधार पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था कि याचिकाकर्ता गृह विज्ञान में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं रखते हैं, उन्होंने गृह विज्ञान के एक अन्य व्याख्याता डॉ. नवेन्दु उपाध्याय के चेक पर हस्ताक्षर कर दिए, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय, बैरगनिया के संयोजक के रूप में कार्य करते हुए बी.ए.एम.एस. की डिग्री के आधार पर काम कर रहे थे। प्रतिवादियों द्वारा अपने प्रति शपथ पत्र में इस तथ्य का खंडन नहीं किया गया है।

22. परिणामस्वरूप, अनुलग्नक-10 में निहित दिनांक 21.03.2014 के आक्षेपित आदेश को, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान से पारिश्रमिक दिए जाने के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता के पास बी.ए.एम.एस. की डिग्री है, जो गृह विज्ञान/घरेलू विज्ञान विभाग में व्याख्याता के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं थी, अपास्त किया जाता है।

23. संबंधित प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिवादियों को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने पेश किए जाने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर योजना के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई अवधि के लिए सहायता अनुदान से भुगतान सुनिश्चित करें।

24. उपर्युक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रफुल्ल/- एएफआर

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।